100

संख्या 507 /V-2013-01(एन0एल0)/08टी0सी0

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3— अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग—1 देहरादूनः दिनांक 06 सितम्बर, 2013

**विषयः नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—178/V—2013—01 (एन0एल0)/08 दिनाँक 04.04.2013 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति की अवधि दिनांक 30.06.2013 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2— उक्त के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल नीति लागू रहने की अवधि को **दिनांक 30.09.2013** तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3— उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.03.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

कृपया नजूल नीति के अन्तर्गत भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.03.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या 507(1) /V-2013-01(एन0एल0)/08टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड।
3– समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव